न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2021

बउनवान

बृजमोहन गुप्ता आयु 72 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी चौमुखा बाजार बारां जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र रामनिवास जाति महाजन
2. दिनेश कुमार पुत्र रामनिवास जाति महाजन निवासीगण बमूलियाकलां तहसील अन्ता, जिला बारां (रेस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल कमांक 29 दिनांक 13.02.1992 ग्राम बमूलियाकलां विरूद्ध आदेश तहसीलदार अन्ता दिनांक 13.02.1992 ग्राम बमूलियाकलां तह0 अन्ता कार्यवाही अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम न्यायालय 1956

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

जिला कलक्टर बारां (राज0)

निर्णय दिनांक 28.02.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बमूलियाकलां की आराजीयात हाल खसरा नंबर 192 रकबा 1.74 है., 533 रकबा 0.02 है., 978 रकबा 1.33 है., 191/1083 रकबा 0.18 है. कुल 3.27 है. पर नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 13.02.1992 को तहसीलदार अंता द्वारा वसीयत दिनांक 27.06.1981 के आधार पर दर्ज किया गया है जिसकी कोई विधिवत जांच नहीं की गई न कोई सुनवाई की गई। केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 29 दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत दर्ज किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वसीयत दिनांक 27.06.1981 मृतक रघुनाथ पुत्र हरदेव जाति महाजन निवासी बमूलियाकलां द्वारा ग्राम बमूलियाकला की आराजी खसरा नंबर 647 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, 86 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, 891/322 रकबा 2 बिस्वा के संदर्भ में की गई है जिसमे कटिंग करके खसरा नंबर 82 के स्थान पर खसरा नंबर 727 बनाया गया है। इस प्रकार सेटलमेन्ट संवत 2044–63 के पश्चात नये खसरा नंबरान 192 रकबा 1.74 है., 533 रकबा 0.02 है., 978 रकबा 1.33 है., [illegible] रकबा 0.18 है. का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जबकि खसरा नंबर 192 र[illegible] है. व 191/1083 रकबा 0.18 है. मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 [illegible] 2044 से बनाया गया है, खसरा नंबर 533 रकबा 0.02 है. साबिक [illegible] 323 से कायम किये गये हैं, इसी प्रकार खसरा नंबर 978 रकबा 1.33 है. साबिक ख[illegible] नंबर 727 से कायम [illegible]या है। जबकि वसीयत में 727 के स्थान पर मूल खसरा नंबर 82 लिखा गया था जिसे [illegible]टिंग करके 727 बनाया गया है। इस प्रकार वसीयत में अंकित खसरा नंबर तथा इंतकाल कमांक 29 में

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

पिछले पृष्ठ पर दर्ज हाल खसरा नंबरान का मिलान क्षेत्रफल से मैच नहीं होता है। मृतक रघुनाथ के औलाद नहीं होने से उसके वारिसान के रूप में उसके दोनों भाई भंवरलाल व जगन्नाथ थे जिसमें से जगन्नाथ का पुत्र रामनिवास रघुनाथ के जीवनकाल मे ही बाल्यकाल में जगन्नाथ के यहां से ग्राम बिजौरा में गोद चला गया व गोद के आधार पर बिजौरा में रामनिवास को सम्पत्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार विधिवत रूप से रामनिवास मृतक जगन्नाथ का पुत्र नहीं रहा। इस प्रकार वसीयत में रघुनाथ के द्वारा अपने पोत्रों रेस्पो0 के नाम वसीयत करना अंकित किया गया है जो अपने आप में संदेहास्पद है। इस प्रकार वसीयत मृतक रघुनाथ के फर्जी हस्ताक्षर कर तैयार करवाई गई है जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण उसके आधार पर खोला गया इंतकाल कमांक 29 दिनांक 13.02.1992 निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार अन्ता को इस निर्देश के साथ भिजवाया जावे कि मृतक रघुनाथ के सभी वारिसान को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण अन्तिम बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आपत्ति बाबत मियाद इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट द्वारा तहसील अन्ता के वसीयत आदेश दिनांक 13.02.1992 की अपील 28 वर्ष की देरी से पेश की है। देरी को माफ करने बाबत दिया गया स्पष्टीकरण वैध एवं पर्याप्त आधार नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 29 की नकल दिनांक 21.08.2020 व वसीयत की नकल दिनांक 14.09.2020 को प्राप्त होने के उपरान्त अपील दिनांक 09.12.2020 को विलम्ब से पेश की है जिसके विलम्ब को माफ करने का वैध कारण एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया, अपील मियाद के बिन्दुओं को अपील निर्णय पूर्व निर्णित किया जाना विधिपूर्ण है। अतः अपील निर्णय पूर्व मियाद का प्रश्न निर्णित कर अपील अपीलान्ट निरस्त फरमावें।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अभिभाषक अपीलांट ने प्रस्तुत आपत्ति का जवाब पेश नही कर सीधे बहस करना चाहा। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण बाबत आपत्ति मियाद एवं मूल अपील पर सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 29 में अंकित हाल खसरा नंबरान का मिलान वसीयत में अंकित साबिक खसरा नंबरान से नहीं होता है। वसीयत में अंकित खसरा नंबर 82 को कटिंग कर खसरा नंबर 727 बनाया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बाबत मियाद के सम्बन्ध में कथन किया कि अपील को Technical ground पर खारिज नहीं कर नामान्तरकरण बाबत निर्णय किया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत [illegible] 2011 पृष्ठ संख्या 595 की छायाप्रति प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार किये [illegible] इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक [illegible] वसीयत का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि कुल 39 [illegible] की वसीयत की गई है। अपीलांट मृतक रघुनाथ के प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं होने [illegible] अपील करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। 1992 के नामान्तरकरण की अपीलांट को थी तो अपील इतने विलम्ब से क्यों पेश की। मृतक रघुनाथ ने अविवाहित एवं निसंतान होने से अपनी

समस्त जमीन व मकान की रजिस्टर्ड वसीयत रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में की। मृतक रघुनाथ मकान में रेस्पोडेन्ट्स वर्तमान में भी रह रहे है। अपीलांट ने वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी बाबत वैध कारण एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडन्ट्स ने न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2020 पेज नंबर 569, आरबीजे 2021 पेज नंबर 532, आरबीजे 2021 पेज नंबर 670, आरबीजे 2020 पेज नंबर 729, आरबीजे 2020 पेज नंबर 681, डीएनजे 2021 (रेव.) पेज नंबर 604, आरबीजे 2019 (रेव) पेज नंबर 184, आरबीजे 2019 पेज नंबर 658, डीएनजे 2021 (रेव) पेज नंबर 1054 की छायाप्रतियां प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील नामांतरकरण संख्या 29 दिनांक 13.02.1992 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत की नकल सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 14.09.2020 को प्राप्त होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने का निवेदन किया है। परंतु उक्त अपील न्यायालय में दिनांक 27.01.2021 को 29 साल पश्चात पेश की गई है। अपील विलम्ब से पेश करने का कोई ठोस कारण अपीलांट द्वारा नहीं बताया गया है। चूंकि अपील पेश करने में हुए विलंब के पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किए गए हैं। अतः अपील पेश करने में हुए विलंब को क्षम्य नहीं किया जा सकता।

- **न्यायिक दृष्टांत 2020 RBJ 681 के अनुसार** ''परिसीमा अधिनियम 1963- धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– धारा 100 जब महकमें ने दो साल सात माह विलम्ब को माफ करने के लिये र्प्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किये तब इतनी देरी को माफ नहीं किया जा सकता है– विलम्ब के कारण अपीले निरस्त की गई।''
- **न्यायिक दृष्टांत 2019 RBJ 184 के अनुसार** ''लिमिटेशन एक्ट 1963–धारा 5– तब प्रार्थी ने सर्तक रहकर अपील को पेश करने की कार्यवाही 12 वर्ष तक नहीं की। अपील को देरी से पेश करने का कोई वैध कारण नहीं है, अपील को पेश करने की देरी को माफ नहीं किया जा सकता।''
- **न्यायिक दृष्टांत 2019 RBJ 658 के अनुसार** ''लिमिटेशन एक्ट 1963– धारा 5 परिवादी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह वाद की कार्यवाही जो समय समय पर नियत होती है उससे दूर रहे। अभिभावक पर यह आरोप लगाना कि उसे समय समय पर कार्यवाही की इत्तला नहीं दी गई मान्य नहीं है। देरी को माफ करने के लिये कोई उचित कारण नहीं है।''

उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषकगण की [illegible] मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। [illegible] संख्या 29 रघुनाथ पुत्र हरदेव द्वारा रेस्पोडेंट के हक में की गई [illegible]1992 के आधार पर खोला गया हैं परंतु पत्रावली में उपलब्ध [illegible] के अवलोकन से ये पाया जाता है कि रघुनाथ द्वारा ग्राम बंमूलियाकलां तहसील अंता के [illegible]जी खसरा नंबर 647, रकबा 12 बीघा, 17 बिस्वा, खसरा नंबर 727 (अस्पष्ट) रकबा 7 बीघा, 18 बिस्वा तथा खसरा नं. 891/322 रकबा 2 बिस्वा की रजिस्टर्ड वसीयत की गई है। जबकि नामांतरण आराजी हाल खसरा नं. 142, 533, 978 व 191/1082 कुल किता 4 कुल रकबा 3.27 है. का रजिस्टर्ड वसीयत के

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)

आधार पर रेस्पोडेंट के हक में खोला गया है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 के अनुसार साबिक आराजी खसरा नं. 644 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा से हाल खसरा नं. 192 रकबा 1.74 है. साबिक आराजी खसरा नं. 322 व 323 रकबा 2 बिस्वा से हाल खसरा नं. 533 रकबा 0.02 है. साबिक आराजी खसरा नं. 727 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा से हाल खसरा नं. 978 तथा आराजी खसरा नं. 644 मिन. से हाल खसरा नं 1091/1083 रकबा 0.18 है. कायम किए गए हैं। उक्त मिलान क्षेत्रफल में अंकित साबिक खसरा नंबरान का वसीयत में अंकित खसरा नंबरों से पूर्णतः मिलान होना नहीं पाया जाता।

अपीलांट द्वारा यह अपील वसीयत की जांच नहीं करने, सुनवाई का मौका नहीं देने तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में खसरा न. का मिलान नहीं होने के आधार पर पेश की गई है।

नामांतरकरण कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है। इसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता। अपील के द्वारा नामांतरकरण इतनी लम्बी अवधि पश्चात निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त सिद्धान्त

- **न्यायिक दृष्टांत 2021 (2) DNJ (Rev.) 1054** "नामांतरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है और 34 वर्ष बाद अपील के जरिये रद्द नहीं किया जा सकता–निर्णीत, अपील सारहीन है तथा आलोच्य आदेश यथावत रखा,"

में भी प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत अपील विवादित नामांतरण रजिस्टर्ड वसीयतनामें के आधार पर दर्ज की गई है। यदि वसीयतनामा को अपीलांट संदेहास्पद मानते हैं तो उसे सक्षम दीवानी न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए।

चूंकि नामांतरण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया था। अतः इसमें रेस्पोडेन्ट को सुनवाई करने की आवश्यकता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं थी। ऐसी स्थिति में चूंकि विवादित नामांतरण दर्ज करने के 29 वर्ष पश्चात अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है और विलंब से अपील पेश करने के पर्याप्त कारण नहीं बताए गए हैं। धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested